

प्रस्तुति 26
(नियम 4क देखिए)



विद्यारथी ३ वराहभज्ज

..(निर्वाचन क्षेत्र)

उच्च प्रिवेट ऑफिसर (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटॉनिंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, ~~वरण~~ अस्ति हूँ
आयु ५। वर्ष, पुत्र/पुत्री/पत्नी ~~बृंदा~~ राम
जो मृत्यु के लिए दृष्टि देती है। इनका
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/कर्त्तव्य हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कर्त्तव्य हूँ-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किस मर हैं +
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी):-

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं नंदी
(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है
..... नंदी

(iv) न्यायालय , जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई
..... नंदी

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे नंदी

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं नंदी

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष छहराया गया है / नहीं

—ਧੂਪਾਲੰਦ

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया भया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं २४५

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले) राज्य

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....



सत्यापन

चट्टाई है

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

मैं ऊपरे नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वरत्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्परिक बात छिपायी नहीं गयी है।

राजेन्द्र परेश शर्मा (Signature) 10-1-12 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

ATTESTED & VERIFIED

Rajendra Pershad Sharma
Advocate & Notary
Distt. Haridwar (U.A.T)

IDENTIFIED BY

ASADULLA (Signature)
40100031010-112
Reg. No. 2554793
Court, Roorki



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 456191



प्रवासी

IDENTIFIED BY
Asadulla
ASADULLA
Advocate
Reg. No. 125/12
Civil Court, Rohtak